न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—27/2022 (2022/348) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मोहनलाल पुत्र भेरा भील निवासी खेडाणा तहसील नाथद्वारा जिला राजसंमद

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. स्वयं प्रार्थी — प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक—11.10.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ठिकरिया पटवार हल्का टूगंच तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की आराजी संख्या 239 रकबा 1.30 है0 भूमि खाता संख्या 53 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी सदैव से अपनी उक्त वर्णित आराजी में आवागमन, पैदल, संज, बैल, बैलगाड़ी आदि से आराजी संख्या 376/238 बिलानाम गै.मु. रास्ता से होते हुए आराजी संख्या 379/238 बिलानाम के बीचो बीच में होकर करता है लेकिन रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा है। प्रार्थी की नवीन आराजी संख्या 239 में आवागमन करने का एक मात्र रास्ता बिलानाम आराजी संख्या 376/238 गे.मु. रास्ते से होते हुए आराजी संख्या 379/238 मे से ही है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के आवागमन करने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी नियमानुसार डीएलसी दर अदा करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी की नवीन आराजी संख्या 379/238 में रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु तहसीलदार रायपुर को ओदशित फरमाया जावे एवं रास्ते में समायोजित होने होने वाला रकबा कह डीएलसी दर से राशि विपक्षी को दिलाया जाने का आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:59:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर [illegible] दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की नोटिस जारी किया गया। नोटिस [illegible] तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल [illegible]

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिस [illegible] तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम ठिकरिया के खसरा नम्बर 239 मोहनलाल पिता भैरा भील निवासी खेडाणा तहसील नाथद्वारा के नाम दर्ज रिकार्ड प्रार्थी इसमें आवागमन हेतु रास्ता रिकार्ड में दर्ज कराना चाहता है। प्रार्थी वर्तमान में बिलानाम रास्ता आराजी आराजी संख्या 376/238 से होकर रास्ता एवं प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 239 के बीच स्थित बिलानाम आराजी संख्या 379/238 रकबा 4.64 है0 दर्ज रेकार्ड है जिससे होकर अपनी भूमि आराजी संख्या 239 में

प्रवेश करता है तथा आवागमन करता है इसके अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान में इसी आराजी संख्या 379/238 में 30 फीट चौड़ा रास्ता उपयोग में ली जाने वाली भूमि 9 मीटर चोड़ाई में कुल 81 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित की गई है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है जो पर्चा मौका में सलंग्न है। भूमि की डीएससी दर साथ संलग्न है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन करने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थी वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। प्रार्थी रास्ते के उपयोग हेतु ली जा रही भूमि की नियमानुसार भूमि कीमत देने को भी तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थी कई वर्षो से आवागमन कर रहे है और अन्य कोई विकल्प नही हो तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। प्रार्थी की खातेदारी काफी पुरानी है जिससे वर्षो से इसी जगह से होकर आवागमन करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विपक्षी की ओर से भी कोई आपत्ति नही की। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम ठिकरिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 239 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 379/238 रकबा 4.64 है0 मे से रकबा 0.0081 है0 भूमि (यानि 81 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएससी दर 161040/–रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 1305/–रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 2610/–रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:59:37 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—27/2022 (2022/348) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मोहनलाल पुत्र भेरा भील निवासी खेडाणा तहसील नाथद्वारा जिला राजसंमद

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम ठिकरिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 239 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 379/238 रकबा 4.64 है0 मे से रकबा 0.0081 है0 भूमि (यानि 81 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएससी दर 161040/—रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 1305/—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 2610/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 11.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:59:37 IST
Reason: SelfAttested